**भारत सरकार**

**रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय**

**औषध विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 3249**

**दिनांक 23 मार्च, 2018 को उत्‍तर दिए जाने के लिए**

**डीपीसीओ में और जीवन रक्षक दवाओं/औषधियों को शामिल किया जाना**

**3249. डा. वी. मैत्रेयन:**

 **श्री मोहम्मद अली खान:**

 क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ध्यान दिया है कि कैंसर इत्यादि का इलाज करने में प्रयुक्त होने वाली दवाएं काफी महंगी हैं और गरीबों की हैसियत से बाहर हैं;

(ख) यदि हां, तो वहनीयता और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार कैंसर और मधुमेह के साथ-साथ हृदय और फेफड़े संबंधी बीमारियों के इलाज में प्रयुक्त होने वाली और औषधियों को डीपीसीओ में शामिल कर चुकी है/शामिल करने का विचार रखती है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान देश में कितनी मात्रा और कितने मूल्य की कैंसर की दवाओं का उत्पादन हुआ और आपूर्ति हुई?

**उत्‍तर**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय; जहाजरानी मंत्रालय और रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनसुख एल. मांडविया)**

(क) और (ख): कैंसर के उपचार के लिए उपयोग की जाने वाली नई दवाएं मुख्य रूप से पेटेंटीकृत दवाएं हैं जो महंगी हैं। तथापि, पेटेंटीकृत दवाइयों की तुलना में उसी उपचारात्मक श्रेणी की सस्ती जेनेरिक स्वरूप की दवाइयां भी उपलब्ध हैं। साथ ही, औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 (डीपीसीओ, 2013) की अनुसूची-I में कैंसर-रोधी दवाइयां भी शामिल हैं और राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने दिनांक 28.02.2018 तक ऐसी 81 दवाइयों के मूल्य निर्धारित किए हैं।

(ग): दवाइयों का मूल्य नियंत्रण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्मित राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची (एनएलईएम) पर आधारित होता है जो एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। पहली बार इसे वर्ष 1996 में निर्मित किया गया था। बाद में, इसे वर्ष 2003 और 2011 में संशोधित किया गया था। एनएलईएम (2015) का पिछला संशोधन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिनांक 23.12.2015 को अधिसूचित किया गया था।

(घ): देश के भीतर कैंसर की दवाइयों के उत्पादन और आपूर्ति के मात्रात्मक आंकड़े विभाग द्वारा नहीं रखे जाते हैं। तथापि, फार्माट्रैक रिपोर्ट में मौजूद आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन वर्षों में कैंसर-रोधी दवाइयों का कारोबार इस प्रकार है:-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ब्यौरा**  | **दिसम्बर, 2015** **को समाप्त वर्ष**  | **दिसम्बर, 2016** **को समाप्त वर्ष** | **दिसम्बर, 2017** **को समाप्त वर्ष** |
| कारोबार\* (रुपए करोड़ में)  | 2,282 | 2,311 | 2,406 |

\*चूंकि कई कैंसर-रोधी दवाइयों की बिक्री सीधे अस्पतालों को की जाती है, उपर्युक्त आंकड़ों में अस्पतालों को सीधे की गई ऐसी बिक्रियों के आंकड़ें नहीं हैं।

\*\*\*\*\*